भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3527
दिनांक 17 दिसम्बर, 2024/ 26 अग्रहायण,1946 (शक) को उत्तर के लिए

भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाना

†3527. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा अवैध घुसपैठ, तस्करी को कम करने और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के शेष कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ख) दुर्गम इलाके, स्थानांतरण और मुआवजे के संबंध में स्थानीय आपत्तियों और 2015 के भूमि सीमा समझौते के अनुपालन जैसी चुनौतियों को देखते हुये ज़ीरो लाइन के 150 गज के भीतर निर्माण को प्रतिबंधित करता है और सरकार द्वारा इन मुद्दों को हल करने और परियोजना को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): सरकार भारत-बांग्लादेश सीमा पर शेष बाड़ कार्य को पूर्ण करने के लिए राज्य प्रशासन के साथ भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं निर्माण एजेंसियों के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और स्वीकृत परियोजनाओं को इन भागों पर क्रियान्वित करने हेतु निरंतर प्रयासरत है।

(ख): लंबित भूमि अधिग्रहण मामलों के समाधान के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वय में सभी प्रयास किए जा रहे हैं, और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संदर्भ में भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच नियमित संवाद आयोजित किए जाते हैं। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के बीच महानिदेशक-स्तरीय वार्ता तथा सुरक्षा एवं सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह जैसी द्विपक्षीय संस्थागत व्यवस्थाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के भीतर सुरक्षा बाड़ का कार्य निर्बाध ढंग से हो।

*****